

**मांग संख्या 12**  
**मुख्य शीर्ष 2045**

**मद क्रमांक 1**

शासकीय विभागों के विद्युत देयताओं का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को किए जाने हेतु ₹ 2487.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2801**

**मद क्रमांक 2**

उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान हेतु ₹ 43506.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,35,06,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2810**

**मद क्रमांक 3**

द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शीर्ष वर्गीकरण मांग संख्या-12, मुख्य शीर्ष 2810-02-101-0410-7693 के अंतर्गत किए गए प्रावधान ₹ 4 करोड़ के विरुद्ध पुनर्प्राप्तियां राशि ₹ 4 करोड़ समायोजित होने के कारण इस अनुपूरक में सोलर पंप हेतु ₹ 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है । यह राशि शीर्ष वर्गीकरण 2810-02-902-40-002 के अंतर्गत पुनर्प्राप्ति के लिए भी मान्य होगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4801**

**मद क्रमांक 4**

द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शीर्ष वर्गीकरण मांग संख्या-12, मुख्य शीर्ष 4801-06-902-0410-6758 के अंतर्गत किए गए प्रावधान ₹ 24 करोड़ 80 लाख के विरुद्ध पुनर्प्राप्तियां राशि ₹ 24 करोड़ 80 लाख समायोजित होने के कारण इस अनुपूरक में कृषि पंपों का ऊर्जाकरण हेतु ₹ 24 करोड़ 80 लाख का प्रावधान किया गया है । यह राशि शीर्ष वर्गीकरण 4801-06-902-40-002 के अंतर्गत पुनर्प्राप्ति के लिए भी मान्य होगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 24,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

छत्तीसगढ़ पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी अतिरिक्त शेयर सर्टिफिकेट ₹ 430005.00 लाख जो कंपनी के संचयी आरक्षित निधि में कमी एवं संचयी लाभ से संबंधित है एवं पूर्व वर्षों में शासकीय लेखे में शामिल नहीं है, के राज्य वित्त लेखे में प्रोफार्मा आधार पर समायोजन के लिए प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है । यह समायोजन पूर्णतः रोकड़ विहीन होगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।